

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 165( )परावि/लेखा/एसपीपीपी/13/ 9482

जयपुर, दिनांक : 09.10.2013

आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये है। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल बनाया गया है। उक्त पोर्टल पर उपापन संस्था उपापन से सम्बन्धित सूचना को इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार पोर्टल पर प्रकाशित करवायेगी। अतः राजस्थान उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में वर्णित कार्यों हेतु निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 3(1) के (a) से (g) में वर्णित कार्यों तथा एकल स्रोत उपापन (कोटेशन के बिना), मौके पर क्रय तथा सीमित निविदा हेतु पंचायती राज विभाग, कार्यालय के लिए निम्नानुसार उपापन समिति का गठन किया जाता है :-

1.	कार्यालयाध्यक्ष	संयोजक
2.	अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.)	सदस्य
3.	लेखाधिकारी	सदस्य
4.	स्टोर प्र.अ. / आहरण वितरण अधिकारी	सदस्य सचिव

2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के नियम 68 में वर्णित उद्देश्यों एवं खुली निविदा हेतु पंचायती राज विभाग, उपापन समिति से उच्चतर उपापन समिति निम्नानुसार गठित की जाती है :-

1.	शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2.	अति. आयुक्त पंचायती राज विभाग	सदस्य
3.	वित्तीय सलाहकार	सदस्य
4.	कार्यालयाध्यक्ष	सदस्य सचिव
5.	विशेष आमंत्रित सदस्य (आवश्यकतानुसार)	सदस्य

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, वित्त (एसपीएफसी) विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, मुख्यालय।
7. उप शासन सचिव, (प्रशा.-1), मुख्यालय।
8. कार्यालय अध्यक्ष, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त को भेजकर लेख है कि अपने पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 165( )परावि/लेखा/एसपीपीपी/13/

१५०३

जयपुर, दिनांक :

०९.१०.२०१३

आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये हैं। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल बनाया गया है। उक्त पोर्टल पर उपापन संस्था उपापन से सम्बन्धित सूचना को इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार पोर्टल पर प्रकाशित करवायेगी। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के तहत पंचायती राज विभाग संस्थाओं हेतु निम्नानुसार अपीलीय अधिकारी नामित किए जाते हैं :-

1. पंचायती राज विभाग कार्यालय हेतु अपीलीय अधिकारी :-

प्रथम अपीलीय अधिकारी	शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
द्वितीय अपीलीय अधिकारी	अति. मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर

2. जिला परिषद कार्यालय हेतु अपीलीय अधिकारी :-

प्रथम अपीलीय अधिकारी	निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर
द्वितीय अपीलीय अधिकारी	शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर

3. पंचायत समिति कार्यालय हेतु अपीलीय अधिकारी :-

प्रथम अपीलीय अधिकारी	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
द्वितीय अपीलीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

4. ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु अपीलीय अधिकारी :-

प्रथम अपीलीय अधिकारी	विकास अधिकारी, पंचायत समिति
द्वितीय अपीलीय अधिकारी	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, वित्त (एसपीएफसी) विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, मुख्यालय।
7. उप शासन सचिव, (प्रशा.-1), मुख्यालय।
8. कार्यालय अध्यक्ष, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त को भेजकर लेख है कि अपने पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त